

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

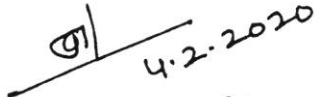
जयपुर दिनांक 4.2.2020

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019

अधिसूचना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49) की धारा 4(2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना क्रमांक प.2(4) न्याय/ 96 दिनांक 3.12.1996 द्वारा सृजित एवं स्थापित विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या 1, उदयपुर निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से


(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक:- सामान्य/II/05/2017/318

दिनांक- 07/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
3. विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 1, उदयपुर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर।
5. प्र.अ.न्या. गोपनीय/अधीनस्थ न्या. स्था.शाखा/ आर.न्या.से. स्था.शाखा/ सांख्यिकी/ बजट/ भवट / प्र.अ.न्या. कम्प्युटर सेल (वास्ते रा.उ.न्या. की वेबसाईट पर अपलोड करने)।


रजिस्ट्रार (नियम)